शाहजहाँपुर पुलिस

प्रेस नोट-सराहनीय कार्य 28.09.2024

थाना कलान पुलिस को मिली कामयाबी

थाना कलान पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 377/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस में वांछित दो अभियुक्तों को मय चोरी के एक अदद ई-रिक्शा, 06 अदद बैटरी व 01 अदद ईको कार के साथ किया गिरफ्तार ।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम व चिन्हित किये गये अपराधियों, वांछित एंव वारंटी ,अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी एंव अपराध की रोकथाम के परिपेक्ष्य में प्रचलित अभियान के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के निर्देशन एंव श्रीमान क्षेत्राधिकारी जलालाबाद के पर्यवेक्षण में थाना कलान पुलिस टीम को बडी सफलता प्राप्त हुई।

आज दिनांक 28.09.2024 को प्रभारी निरीक्षक श्री प्रभाष चन्द के नेतृत्व में थाना कलान पुलिस टीम द्वारा प्रचलित अभियान व देखरेख, तलाश वांछित अपराधी व चैंकिंग संदिग्ध व्यक्ति व वाहन व जांच विवेचना में मामूर होकर मदनपुर के आगे धान मिल के पास आने जाने वाले वाहनो की चैकिंग करने लगे कि इतने मे कलान की तरफ से एक ECO कार स्लेटी रंग की आती दिखाई दी जिसे शक के आधार पर रोका गया जिसमे दो व्यक्ति बैठे दिखायी दिये जो पुलिस वालों को देखकर हड़बड़ा गये कि ECO गाड़ी को सड़क किनारे लगवाकर गाड़ी मे बैठे व्यक्तियों से नाम पता पूँछते हुए जामा तलाशी ली गई तो गाड़ी की चालक की सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम सन्दीप S/O बटेश्वर नि0ग्राम इस्मालइपुर थाना मिर्जापुर बताया जिस की जामा तलाशी 600 रुपये बरामद हुए तथा आगे की बगल वाली सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम जयवीर पुत्र मुलायम नि0 ग्राम देवनगर जरियनपुर थाना मिर्जापुर बताया जिसकी जामा तलाशी से 200 रूपपये बरामद हुये। गाडी के अन्दर बीच वाली जगह पर 06 अदद ई-रिक्शा की बैटरियाँ रखी मिलीं जिन को देखा गया तो चार बैटरी Livguard ,e Shabit power mose लाल काले की व दो अदद ई-रिक्शा बैटरी Tuff Bull मार्क रिक्शा बैटरी लाल काले रंग की है तथा Eco गाड़ी आगे पीछे नम्बर प्लेट पर UP27 BM0960 नम्बर अंकित है इतनी मात्रा मे ई- रिक्शा बैटरी के सम्बन्ध मे दोनो व्यक्तियों से पूछा गया तो कोई माकूल जवाब नही दे सके।

संक्षिप्त विवरण-

पूछताछ करने पर बताया कि साहब हम लोग ई-रिक्शा चालकों को अकेला देखकर सवारी बनकर किराये पर तय करते हैं तथा मौका पाकर ड्राइवर को नशीला पदार्थ खिला पिला कर बेहोश कर देते हैं और ड्राइवर को नशा होने पर रास्ते मे फेंककर ई-रिक्शा लेकर चले जाते हैं हमारे इस काम मे 1. राजकुमार S/O भूमिराज नि0 ग्राम हरिहरपुर थाना मिर्जापुर 2.सचिन व 3. पिन्टू पुत्रगण महावीर नि0ग्रा0 तारापुर थाना मिर्जापुर 4.मोनू पुत्र प्रेमपाल नि0ग्राम तारापुर थाना मिर्जापुर जिला शाहजहांपुर भी शामिल रहते है। हम लोग मिल कर यह काम करते हैं तथा इनमे से कुछ लोग ईको गाड़ी मे रहते हैं तथा कुछ लोग सवारी बनकर ई-रिक्शा पर बैठ जाते हैं और E रिक्शा चालक को बातों-2 में फंसा कर उसे जहरीला/नशीला पदार्थ समोसा या पेप्सी में मिलाकर खिला देते हैं तथा सुनसान जगह पर उसे बेहोश करके फेंक देते हैं, पीछे ईको कार से हमारे अन्य साथी आ जाते हैं और ई- रिक्शा लेकर चले जाते हैं। तथा मौका देखकर बैटरी को निकलाकर ECO कार मे रखकर ले जाते हैं दिनांक 22/9/24 को इसी ECO गाड़ी से जयवीर,सन्दीप तथा राजकुमार,मोनू,सचिन,पिन्टू कम्पिल गये थे और रुदायन रेलवे स्टेशन के पास गाड़ी रोड पर लगाकर मै जयवीर व राजकुमार सवारी बन कर रास्ते मे लाल रगं की ई-रिक्शा को किराये पर कलान के लिए तय किया था तथा उस पर बैठ कर कलान की तरफ कम्पिल से आये तथा ई-रिक्शा डाइवर को बातों मे फंसाकर उसकी पेप्सी मे नशीला/जहरीला पदार्थ पिला दिया पीछे ईको गाड़ी से जिसे सन्दीप चला रहा था और गाड़ी मे सचिन,पिन्टू व मोनू लेकर आये थे। हम लोग ई-रिक्शा लेकर कलान की तरफ आये थे आधीदी से आगे सुनसान जगह पर रिक्शा के ड्राइवर को बेहोशी की हालत मे फेंक कर बैटरियों को निकलाकर ई-रिक्शा को भर्रामई के आगे खण्डहर पड़े मकान व दीवार की आड़ मे छिपाकर खड़ा कर दिया था और गाड़ी मे रखी Livegard की चार बैटरियों को इसी ईको गाड़ी से लेकर चले गये थे इनसे और सख्ती से पूछा गया तो आना कानी करने के पश्चात बताया कि हम लोगों ने दि0 25/8/24 को इसी तरह से कलान से ई-रिक्शा तय करके मिर्जापुर के शेरंगज के पास एक ई-रिक्शा चालक को बेहोश करके उसे समोसे मे जहरीला पदार्थ दिया था और उसे फेंककर बैटरी को निकलाकर लेकर चले गये थे उस दिन हम लोगों के पास ECO गाड़ी न0 UP27 BN 3692 जो कि पिन्टू की है जिसे पिन्टू चला रहा था लेकर गये थे ये दो बैटरी Tuff Bull मार्को उसी घटना की ई-रिक्शा की हैं और उसकी दो बैटरी राजकुमार के पास हैं आज हम दोनो लोग इन बैटरियों को बदायूं बेचने के लिए जा रहे थे कि आप लोगो ने पकड़ लिया इसी दौरान मुकदमा अ0स0 377/24 धारा 123/303(2) BNS के वादी अजय कुमार को जरिये दूरभाष कर अवगत कराया गया तो वह कस्बा कलान से मौके पर आ गया है और पकड़े गये व ECO गाड़ी व अपनी Liveguard की बैटरी को देखकर पहचान कर बताया कि साहब दिनांक 22/9/24 को इन दोनो लोगों ने मुझे पेप्सी पिलाई थी और मै बेहोश हो गया था और मेरी ई-रिक्शा को लेकर जिसका न0 UP76T 9498 है चले गये। चूँकि पकड़े गये अभि0 जयवीर व सन्दीप के कब्जे से थाना हाजा पर पंजीकृत मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित माल मसरुकर चार अदद बैटरी

तथा घटना मे प्रयुक्त नामजद वांछित ECO कार बरामद UP27 BM 0960 है। अभियुक्त गण द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करते हुए उक्त घटना कारित करने हेतु बताया गया तथा ई-रिक्शा के बारे मे पूँछने पर चल कर ई-रिक्शा बरामद कराने की बात बतायी है अतः मौके से ईको कार मय बरामद बैटरियों के मय हमराहीयान व वादी मुकदमा के मौके से अभियुक्तगण के बताये अनुसार भर्रामई की तरफ आये भर्रामई से पहले खण्डहर स्थान की ओर इशारा करके बताया कि ई-रिक्शा यही पर खड़ा है जहाँ पर चलकर देखा तो लाल रगं का ई-रिक्शा जिसपर UP27 9498 नम्बर अंकित है खड़ा है जिसे मुकदमा वादी ने देखकर पहचान कर बताया कि साहब यही मेरा ई-रिक्शा है जिसमे चारों बैटरी नहीं हैं, अभियुक्त गण के कब्जे से बैटरी चारों पहले ही बरामद हो चुकी है। अतः ई-रिक्शा UP76T 9498 चार अदद बैटरी व घटना मे प्रयुक्त ईको कार UP7 BM 0960 मुकदमे से सम्बन्धित है । अभियुक्तगण का यह कार्य अन्तर्गत धारा 123/303(2)/317(2)/(4)(5) BNS के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है अतः इनको जुर्म धारा उपरोक्त से अवगत कराते हुए कारण बताकर समय करीब 10.45 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया । अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरणः-

1.सन्दीप पुत्र बटेश्वर निवासी ग्राम इस्मालइपुर थाना मिर्जापुर जिला शाहजहांपुर

2.जयवीर पुत्र मुलायम निवासी ग्राम देवनगर जरियनपुर थाना मिर्जापुर जिला शाहजहांपुर

पंजीकृत अभियोग का विवरणः—

- **मु0अ0सं0 377/24 धारा 303(2)/123/317(2)(4)(5) बीएनएस थाना कलान शाहजहाँपुर**

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास —

- **मु0अ0सं0 377/24 धारा 303(2)/123/317(2)(4)(5) बीएनएस थाना कलान शाहजहाँपुर**
- **मु0अ0सं0 281/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना मिर्जापुर जनपद शाहजहाँपुर**

बरामदगी का विवरण—

- **06 अदद बैटरी (04 अदद बैटरी लिवगार्ड मार्का व 02 अदद बैटरी टफबुल मार्का)**
- **एक अदद ई- रिक्शा सं0 UP76T 9498**
  एक अदद स्लेटी कलर ईको गाडी सं0 UP27BM 0960

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का विवरण –

1. **उ0नि0 श्री यशपाल सिंह थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर**
2. **उ0नि0 रिन्कू कुमार थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर**
3. **का0 2003 वशु आर्य थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर**
4. **का0 2465 जितेन्द्र थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर**
5. **का0 1887 विष्णु थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर**